न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –75/2019 (Bank Case)

इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाईनेंस (IIHFL) रजिस्टर्ड कार्यालय 12ए–10, 13 Floor, Parinee Crescenzo, C-38,ANDC-39G-Block Behind MCA, kurla complex Bandra east mumbai-400051 Branch office &Gaurav plaza, second floor, shop no.2 to 6, kotri Road Gumanpura kota Authorised officer - Manish sharma

– प्रार्थी बैंक.

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र खेमचन्द शर्मा
   पता– मकान नं0–1, थ –1, दादाबारी विस्तार, ज्योति मन्दिर के पास कोटा (राज0) –324009 **(ऋणी व बंधककर्ता)**
2. श्रीमति विभूति शर्मा पत्नि राजेन्द्र कुमार शर्मा कोटा (राज0)
   मकान नं0–1– थ –1, दादाबारी विस्तार, ज्योति मन्दिर के पास कोटा (राज0) –324009 **(सह ऋणी)**
3. श्री समित शर्मा पुत्र खेमचन्द शर्मा
   मकान नं0–1–थ –1, दादाबारी विस्तार, ज्योति मन्दिर के पास कोटा (राज0) –324009 **(सह ऋणी)**
4. श्री अभिषेक शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार शर्मा
   मकान नं0–1–थ –1, दादाबारी विस्तार, ज्योति मन्दिर के पास कोटा (राज0) –324009 **(सह ऋणी)**
5. मै0 राजेन्द्र कुमार प्रमोद कुमार
   सी–157 भामाशाह मण्डी अनन्तपुरा, कोटा, राजस्थान–324005

–अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

उपस्थित

1. श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांकः 12.06.2019

प्रार्थी इंडिया इन्फोलाइनहाउसिंग फाईनेंस (IIHFL) रजिस्टर्ड कार्यालय 12ए–10, 13 Floor, Parinee Crescenzo, C-38,ANDC-39G-Block Behind MCA, kurla complex Bandra east mumbai-400051 Branch office &Gaurav plaza, second floor, shop no.2 to 6, kotri Road Gumanpura kota Authorised officer - Manish sharma से अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 30.03.2013 को रू0 1,98,79,472/– (अक्षरेः रूपये एक करोड़, अठ्यानवें लाख, उन्हांसी हजार, चार सौ बहत्तर मात्र) एवं दिनांक 14.08.2017 को 54,79,440/–(अक्षरेः रूपये चौवन लाख, उन्हांसी हजार, चार सौ, चालिस मात्र) कुल राशि– 2,53,58,912/– (अक्षरेः दौ करोड़, तरेपन लाख, अठ्ठावन हजार,, नौ सौ बारह मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति मकान नं0 1–थ–1, दादाबाडी विस्तार योजना कोटा जिसकी चर्तु सीमाएं– पूरब– मकान नं0 1–थ–2, पश्चिम**

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

में– रोड 9 मीटर, उत्तर– रोड 120 मीटर, दक्षिण– अन्य मकान जो रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.4.2015 से अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री खेमचन्द शर्मा एवं श्रीमति विभूति शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा के नाम है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.09.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण द्वारा उसके खाते मे 2,65,18,603/– रूपये (अक्षरे रूपये दौ करोड़, पैंसठ लाख, अठ्ठारह हजार, छः सौ तीन मात्र) बकाया रकम दिनांक 07.09.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण,को दिनांक 08.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "कंचन केसरी" में दिनांक 23.10.2018 को एवं अंग्रेजी समाचार समाचार पत्र **"Times of India"** में दिनांक 11.09.20018 को प्रकाश भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण,को दिनांक 08.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "कंचन केसरी" में दिनांक 23.10.2018 को एवं अंग्रेजी समाचार समाचार पत्र "Times of India" में दिनांक 11.09.20018 को प्रकाश भी कराया इसके** बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण,को दिनांक 08.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "कंचन केसरी" में दिनांक 23.10.2018 को एवं अंग्रेजी समाचार समाचार पत्र "Times of India" में दिनांक 11.09.20018 को प्रकाश भी कराया इसके** पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । **अचल सम्पत्ति मकान नं0 1–थ–1, दादाबाडी विस्तार योजना कोटा जिसकी चर्तु सीमाएं– पूरब– मकान नं0 1–थ–2, पश्चिम में– रोड 9 मीटर, उत्तर– रोड 120 मीटर, दक्षिण– अन्य मकान जो रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.4.2015 से अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री खेमचन्द शर्मा एवं श्रीमति विभूति शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा के नाम है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 12.06.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner